

डी०एफ०ए०
निविदा प्रपत्र का मूल्य 200+जी.एस.टी.



उत्तराखण्ड सरकार
कार्यालय महानिदेशक, सूचना एवं लोक सम्पर्क विभाग, उत्तराखण्ड
सूचना भवन लाडपुर रिंग रोड, देहरादून

E-mail : infodg.uk@gmail.com

Website: www.uttarainformation.gov.in

पत्रांक : ८०८ सू.एवं.लो.सं.वि. (नि.शा.)-२२/२०१०

दूरभाष : ०१३५-२६६२९७१ / फैक्स : २६६२३३४

दिनांक ०४ अगस्त, 2019

निविदा—प्रपत्र

1. निविदा प्रपत्र करने की अन्तिम तिथि — 20 सितम्बर, 2019, अपराह्न 2.00बजे तक।
2. सीलबन्द निविदा जमा करने की अन्तिम तिथि — 23 सितम्बर, 2019, अपराह्न 2.00बजे तक।
3. सीलबन्द निविदा खुलने की तिथि — 23 सितम्बर, 2019, सायं 4.00 बजे

अपर निदेशक
कृते महानिदेशक

निविदा के नियम व शर्तें

(क) वित्तीय शर्तें:-

निविदादाता फर्म को कार्य हेतु अपनी दरें नीचे दिये हुए प्रपत्र पर निर्धारित कॉलमों के सामने समस्त व्यय एवं करों सहित एकमुश्त अंकित करनी होगी, जिस फर्म की दरें संकलित रूप से न्यूनतम होंगी, उसी फर्म को विभाग में उक्त कार्य करने हेतु अनुबन्धित किया जायेगा, जिस फर्म द्वारा निर्धारित प्रपत्र पर एकमुश्त दरें अंकित नहीं की जायेगी, (अतिरिक्त सामग्री की दरों को छोड़कर) उनकी निविदा स्वीकार नहीं की जायेगी।

क्र. सं	कार्य का विवरण	कार्य की प्रतिमाह एकमुश्त दर (रु.)
1.	हिन्दी एवं अंग्रेजी के मुख्य समाचार पत्र-पत्रिकाओं, से जिनकी अनुमानित संख्या लगभग 50 होंगी, की विषयवार 100 से 120 मूल कतरनों (क्लीपिंग्स) की औसतन दरें प्रतिमाह एकमुश्त दर रु.	
2.	उक्त मूल कतरनों की स्वच्छ फोटो प्रति की दरें (प्रति माह एकमुश्त दर) रु.	
3.	उक्त कतरनों की ई-फार्मेट पर प्रतिदिन एक प्रति उपलब्ध कराने की दर (प्रति माह एकमुश्त दर) रु.	
उक्त समस्त कार्यों की एकमुश्त दरों का योग:-		

अतिरिक्त सामग्री की दरें:-

क्र. सं	कार्य का विवरण	दरें (रु.)
1.	आवश्यकता पड़ने पर प्रति कतरन (क्लीपिंग्स) की रंगीन फोटो काफी उपलब्ध करने की दर	
2.	आवश्यकता पड़ने पर प्रति क्लीपिंग्स की अतिरिक्त श्वेत-श्याम फोटो कापी की दर	
3.	आवश्यकता पड़ने पर उक्त कतरनों की अतिरिक्त सी.डी. उपलब्ध कराने पर प्रति सी.डी. की दर	
4.	आवश्यकता पड़ने पर ई-मेल के माध्यम से क्लीपिंग्स भेजने पर प्रति ई-मेल दर	

(ख) तकनीकी शर्तें:-

1. निविदादाता फर्म हिन्दी, अंग्रेजी और उर्दू में प्रकाशित समाचार पत्रों में मा. मुख्यमंत्री, विभागीय मंत्री अन्य मंत्रीगणों, विभिन्न विभाग, निगम, स्वायत्तशासी संस्थाओं, मुख्य सचिव, प्रमुख सचिवों, सचिवों, सम्पादकीय, फीचर-लेख, त्वरित कार्यवाही से सम्बन्धित प्रमुख समस्यापरक समाचार एवं विविध समाचारों की निरीक्षा कर उनकी कतरनों के विषयवार अलग-अलग सेट (दो मूल व 25 से 30 छायाप्रतियाँ) विभागीय निर्देशानुसार उपलब्ध कराने होंगे।
2. फर्म को समाचार पत्रों की निरीक्षा कर प्रतिदिन प्राप्त 7:30 बजे कतरनों के एक-एक मूल सेट महामहिम श्री राज्यपाल एवं मा. मुख्यमंत्री को तथा उसकी छाया प्रतियों के सेट क्रमशः मुख्य सचिव, प्रमुख सचिव, सचिव, सूचना तथा महानिदेशक, सूचना को उपलब्ध कराने के साथ ही शेष अन्य विशिष्ट व्यक्तियों, जिनकी सूची विभाग द्वारा यथासमय उपलब्ध करायी जायेगी, को प्रातः 9:00 बजे तक अनिवार्य रूप से उपलब्ध करानी होगी।
3. समाचार क्लीपिंग्स के सेट में उत्तराखण्ड के साथ ही पड़ोसी राज्यों से प्रकाशित महत्वपूर्ण समाचार पत्र-पत्रिकाओं में प्रकाशित समाचारों की कतरने उपलब्ध करानी होंगी।
4. विभाग द्वारा फर्म से किसी भी क्लीपिंग्स को आवश्यकता पड़ने पर मांगे जाने की दशा में एक घण्टे के भीतर आवश्यकता वाले स्थान पर साप्ट एवं हार्ड कापी अनिवार्य रूप से उपलब्ध करानी होगी।
5. फर्म को सप्ताह में एक बार लघु दैनिक, साप्ताहिक, पाक्षिक एवं मासिक समाचार पत्रों/पत्रिकाओं में प्रकाशित उत्तराखण्ड सरकार से सम्बन्धित केवल नकारात्मक समाचारों की क्लीपिंग्स महानिदेशक सूचना के अवलोकनार्थ एवं निरीक्षा शाखा कार्यालय के उपयोगार्थ प्रस्तुत करनी होंगी तथा चिह्नित लघु दैनिक, साप्ताहिक, पाक्षिक एवं मासिक समाचार पत्र अगर बाजार में उपलब्ध नहीं हो पाते हैं, तो फर्म निरीक्षा शाखा से, सम्बन्धित समाचार पत्र प्राप्त कर सकते हैं।
6. फर्म को आयकर रिट्टन की अद्यतन प्रति निविदा के साथ उपलब्ध करानी अनिवार्य होगी।
7. निविदादाता फर्म को निविदा के साथ अर्नेस्ट मनी के रूप में रु. 10 हजार का डिमाण्ड ड्राफ्ट महानिदेशक, सूचना एवं लोक सम्पर्क विभाग, उत्तराखण्ड के पक्ष में प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।

8. फर्म का कार्यालय देहरादून में होना अनिवार्य है यदि किसी फर्म का कार्यालय देहरादून में स्थापित नहीं है और विभाग द्वारा उन्हें अनुबन्धित किया जाता है, तो फर्म को 15 दिन के अन्दर देहरादून में समस्त मानव संसाधन एवं उपकरणों सहित कार्यालय स्थापित करना आवश्यक होगा।
9. फर्म के कार्यालय का विद्युत कनेक्शन व्यावसायिक होना चाहिए (बिजली के बिल की प्रति संलग्न करें) फर्म का कार्यालय यदि किराये के भवन में हो तो किरायेदारी का इकरारनामा नोटरी से सत्यापित कराकर संलग्न करें।
10. विभागीय समिति द्वारा क्लीपिंग्स सम्बन्धी कार्य के लिये चयनित फर्म के कार्यालय, मानव संसाधन (कम से कम 05 व्यक्तिओं का स्टाफ) एवं आवश्यक उपकरणों का भौतिक सत्यापन किया जायेगा। उसकी रिपोर्ट के पश्चात ही फर्म के सम्बन्ध में अन्तिम लिया जायेगा।
11. फर्म के पास क्लीपिंग्स सम्बन्धी कार्य करने हेतु दक्ष मानव संसाधन (कम से कम दो कार्मिक स्नातक शैक्षिक योग्यता रखने वाले, जिन्हें हिन्दी एवं अंग्रेजी के कार्य का ज्ञान हो, एक कम्प्यूटर ऑपरेटर तथा दो अन्य कार्मिक, जो उक्त कार्य करने में सक्षम हों) होना चाहिये।
12. कार्यालय में मानव संसाधनों की संख्या की पुष्टि हेतु उनके बॉयोडाटा के साथ प्रमाणित वोटर आई.डी./आधार तथा उनके शैक्षिक अभिलेखों की प्रति संलग्न कर उपलब्ध करानी अनिवार्य होगी।
13. कार्यालय में स्थापित उपकरणों जैसे—कम्प्यूटर/प्रिण्टर/स्कैनर/इंटरनेट/फोटो कापियर मशीन आदि होने के पक्ष में उनके बीजक उपलब्ध कराने होंगे।
14. फर्म का शिकायत निवारण तंत्र भी स्थापित करना होगा, जो महानिदेशक की शिकायत और फीडबैक के लिए उत्तरदायी होगा। लगातार 6 बार अनुत्तरदायी होने पर फर्म की सेवाओं को एक माह के नोटिस पर निरस्त करते हुए जमानती धनराशि जब्त कर दी जायेगी।
15. समाचार पत्रों में प्रकाशित समाचारों को ई-फार्मेट में प्रदर्शित करने के लिये विभागीय स्तर पर साफ्टवेयर भी तैयार किया जा रहा है, जिसमें विषयवार कतरनों को संकलित कर अपलोड किया जाना होगा। इसके लिये फर्म को कतरनों की प्रति उच्च गुणवत्तायुक्त डीजिटलकेम के माध्यम से कम्प्यूटर में अपलोड करनी होगी तथा कतरनों को साफ्टवेयर में अपलोड करना होगा। समाचार कतरनों की फोटो प्रति की अतिरिक्त आवश्यकता होने पर उनकी प्रति आवश्यकतानुसार प्रिण्ट में उपलब्ध करानी होगी। समाचार कतरनों को ई-फार्मेट पर अपलोड करने की प्रक्रिया सुचारू रूप से प्रारम्भ होने के पश्चात फोटोकॉपी के रूप में विभिन्न महानुभावों को प्रेषित की जा रही पत्रावली के स्थान पर उनके द्वारा भी इनका अवलोकन इससे सम्बन्धित साफ्टवेयर पर अवलोकित किया जा सकेगा तथा आवश्यकता पड़ने पर उनका प्रिण्ट आउट लिया जा सकेगा।
16. फर्म को आवश्यकता पड़ने पर समाचार क्लीपिंग्स को व्हाट्सएप (WhatsApp) पर पीडीएफ फाइल के रूप में बताये गये मोबाइल नम्बरों पर भेजना सुनिश्चित करना होगा।

अन्य शर्तेः—

1. निरीक्षा कार्य हेतु जिस फर्म की दरें न्यूनतम प्राप्त होंगी, उस फर्म के द्वारा यदि कार्य करने से असमर्थता व्यक्त की जाती है, तो उस फर्म की जमानत धनराशि विभाग द्वारा जब्त कर ली जायेगी।

2. जिस फर्म को निरीक्षा कार्य हेतु चयनित किया जायेगा, उसे निदेशालय से किये गये अनुबन्ध में कुल अनुमानित वार्षिक मूल्य का 5 प्रतिशत जमानत राशि के रूप में महानिदेशक, सूचना एवं लोक सम्पर्क विभाग, उत्तराखण्ड के पक्ष में बन्धक रखना अनिवार्य होगा।
3. बीजक भुगतान पर नियमानुसार आयकर की कटौती की जायेगी, जिसके लिए आयकर विभाग द्वारा जारी पैन नम्बर उपलब्ध कराना आवश्यक होगा।
4. फर्म को सेवाकर का भुगतान तभी किया जायेगा, जब सम्बन्धित फर्म यह घोषणा करे कि उनके द्वारा प्रदत्त सेवायें सेवाकर के अधीन हैं तथा उनके द्वारा सेवाकर दिया जाता है। यह फर्म की जिम्मेदारी होगी कि वह नियमानुसार सेवाकर का दावा करे।
5. फर्म का उत्तराखण्ड में जी.एस.टी. में पंजीयन होना आवश्यक है, जिसके पक्ष में प्रमाण संलग्न करना होगा।
6. चयनित फर्म को रु. 100 के स्टाम्प पेपर पर अनुबन्ध करना होगा।
7. महानिदेशक, सूचना एवं लोक सम्पर्क विभाग को बिना कारण बताये निविदा निरस्त करने का अधिकार होगा।
8. किसी भी दशा में विवाद की स्थिति में न्याय क्षेत्र देहरादून होगा।
9. फर्म को वित्तीय एवं तकनीकी निविदायें अलग-अलग लिफाफे में प्रस्तुत करनी होंगी।
10. विभागीय निविदा समिति को प्राप्त निविदाओं को निविदादाताओं की उपस्थिति अथवा अनुपस्थिति दोनों दशाओं में खोलने का अधिकार होगा।

फर्म का नाम एवं पता—.....

उत्तराखण्ड में पंजीकृत जी.एस.टी. संख्या—.....
टेलीफोन / मोबाइल नम्बर—.....

प्रोपाराइटर के हस्ताक्षर
रबर स्टैम्प